



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939

No. 110]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

**फा. सं. सी-III-07001/2/2017-सीए-III/सं. 85-प्रेस/2017.**— भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, यह निर्देश देते हैं कि अधिसूचनाएं संख्या 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 और 32-प्रेस/2015, दिनांक 6 अप्रैल, 2015 के अंतर्गत क्रमशः 24 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खंड 1 और 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित कुलाध्यक्ष पुरस्कारों के विनयमन संबंधी वर्गों और दिशा-निर्देशों में निम्नवत् संशोधन किये जाएंगे :-

अधिसूचना संख्या 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 और संख्या 32-प्रेस/2015, दिनांक 6 अप्रैल, 2015 के पैरा 1 की तालिका में —

- (i) नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार से संबंधित क्रमांक संख्या 2 में, कॉलम 'विवरण' के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नवत आएगा:

“पांच लाख रुपये की कुल राशि की सीमा के साथ विजेता प्रविष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा पत्र एवं एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार; परंतु यदि किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या पांच सदस्यों से अधिक हो जाती है तो पांच लाख रुपये की नकद राशि को सदस्यों में समान रूप से वितरित किया जाएगा”

- (ii) अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार से संबंधित क्रमांक संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को हटा दिया जाए तथा कॉलम के अंतर्गत “क्रमांक” “पुरस्कार का नाम” और “विवरण” में निम्नवत क्रम संख्या व प्रविष्टियों को शामिल किया जाए।

क्रमांक	पुरस्कार का नाम	विवरण
3(क)	अनुसंधान (मानविकी, कला और सामाजिक विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	पांच लाख रुपये की कुल राशि की सीमा के साथ विजेता प्रविष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा पत्र एवं एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार; परंतु यदि किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या पांच सदस्यों से अधिक हो जाती है तो पांच लाख रुपये की नकद राशि को सदस्यों में समान रूप से वितरित किया जाएगा
3(ख)	अनुसंधान (प्राकृतिक विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	- तथैव -
3(ग)	अनुसंधान (भौतिक विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	- तथैव -

डॉ थॉमस मैथ्यू, राष्ट्रपति के अपर सचिव

**PRESIDENT'S SECRETARIAT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2017

**F. No. C-III-07001/2/2017-CA-III/No.85-Pres/2017.**— The President of India, in his capacity as Visitor of Central Universities, is pleased to direct that the following amendments shall be made in the categories and guidelines governing the Visitor's Awards published in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of October 24, 2014 and in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of April 10, 2015 under Notification Nos. 72-Pres/2014 dated October 22, 2014 and 32-Pres/2015 dated April 6, 2015, respectively:-

In the table in para 1 of the Notifications No. 72-Pres/2014 dated October 22, 2014 and No. 32-Pres/2015 dated April 6, 2015, -

- (i) **In Serial No. 2 relating to Visitor's Award for Innovation, for the entries under column "Details", the following shall be substituted:-**

"Citation and Cash reward of Rupees One Lakh to each individual of the winning entry subject to a limitation of total amount of Rupees Five Lakh; however, if the number of individuals in a group exceeds five members, the Cash reward of Rupees Five Lakh will be equally distributed amongst the members of the group"

- (ii) **Serial No. 3 relating to Visitor's Award for Research and entries relating thereto shall be omitted and the following serial numbers and entries under the columns "Sl. No.", "Title of the Award" and "Details" shall be inserted:-**

Sl. No.	Title of the Award	Details
3(A).	Visitor's Award for Research (Humanities, Arts and Social Sciences)	Citation and Cash reward of Rupees One Lakh to each individual of the winning entry subject to a limitation of total amount of Rupees Five Lakh; however, if the number of individuals in a group exceeds five members, the Cash reward of Rupees Five Lakh will be equally distributed amongst the members of the group
3(B).	Visitor's Award for Research (Natural Sciences)	-do-
3(C).	Visitor's Award for Research (Physical Sciences)	-do-

DR. THOMAS MATHEW, Addl. Secy. to the President